राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या–2255/2010/अलवर

मैसर्स रवि स्टील इण्ड. एरिया,
भिवाडी, अलवर। .....अपीलार्थी.

बनाम्

सहायक आयुक्त,
वाणिज्यिक कर विभाग,
भिवाडी, अलवर।

.....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ कैम्प जयपुर
श्री मदनलाल मालवीय, सदस्य

उपस्थित : :

श्री विवेक सिंघल, ...अपीलार्थी की ओर से.
अभिभाषक
श्री रामकरण सिंह,
उप–राजकीय अभिभाषक .....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 16.11.2017

निर्णय

1. अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा यह अपील उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर विभाग, अलवर (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा पारित आदेश दिनांक 28.09.2010 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसके द्वारा उन्होनें सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर, भिवाडी (जिसे आगे **"सशक्त अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **"अधिनियम"** कहा जायेगा) की धारा 76(6) के अन्तर्गत पारित आदेश दिनांक 15.01.2007 के जरिये कायम की गयी शास्ति रूपये 71,485/– को यथावत रखा है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि सशक्त अधिकारी द्वारा दिनांक 15.01.2007 को वाहन संख्या आर.जे.–18–जी–0736 को औद्योगिक क्षैत्र, भिवाडी में बॉश एण्ड लॉम्ब के पास रोक कर चैक किया गया, जिसमें माल एम.एस.सरिया लदा हुआ था। सशक्त अधिकारी द्वारा मांगने पर वाहन चालक/माल प्रभारी द्वारा परिवहनित माल से संबंधित दस्तावेज यथा मैसर्स रवि स्टील्स, इण्ड. एरिया, भिवाडी का बिल संख्या 89 दिनांक 14.01.2007 माल एम.एस.टोर 20 एम.एम. वजन 4755 कि.ग्रा. जो मैसर्स एमटेक ऑटो लि., भिवाडी को जारी है, प्रस्तुत किया। संदेह पर सशक्त अधिकारी द्वारा परिवहनित माल को तुलवाया गया, जिससे उन्होंने पाया कि परिवहनित माल (14730 कि.ग्रा.), दस्तावेजों में संधारित माल (4755 कि.ग्रा.), से अधिक है। जिसे सशक्त अधिकारी द्वारा करापवंचन का द्योतक मानते हुए अधिनियम की धारा 76(2) का उल्लंघन मानकर अपीलार्थी व्यवहारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। नोटिस की पालना में अपीलार्थी व्यवहारी ने उपस्थित होकर दूसरा बिल संख्या 90 दिनांक 14.01.2007 प्रस्तुत किया जाहिर किया ओवरलोडिंग होने के कारण दूसरा बिल प्रस्तुत नहीं किया। सशक्त अधिकारी द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी के जवाब को पश्चात्वर्ती सोच

लगातार.....2

मानकर अधिनियम की धारा 76(6) के अन्तर्गत शास्ति राशि रूपये 71,485/– का आरोपण कर दिया। सशक्त अधिकारी के उक्त आदेश के विरुद्ध अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर, अपीलीय अधिकारी ने आदेश दिनांक 28.09.2010 द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी की अपील अस्वीकार करते हुए, आरोपित शास्ति को यथावत रखा है। अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेश के विरूद्ध, अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा यह द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई है।

3. उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

4. अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने बहस के दौरान कथन किया कि अपीलार्थी व्यवसायी राज्य में एक पंजीकृत व्यवहारी है, एवं उनके समस्त संव्यवहार को उसकी नियमित लेखा–पुस्तकों में इन्द्राज किया जाता है। अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा दो बिलों 89 एवं 90 दिनांक 14.01.2007 को जारी किया गया, परन्तु वक्त जांच ओवरलोडिंग के कारण वाहन चालक/माल प्रभारी द्वारा बिल संख्या 90 दिनांक 14.01.2007 प्रस्तुत नहीं किया गया। इसमें अपीलार्थी व्यवहारी की करापवंचन की कोई मंशा नहीं थी, एवं सशक्त अधिकारी द्वारा भी नोटिस की पालना में प्रस्तुत जवाब पर कोई कार्यवाही नहीं करते हुए, कर चोरी की मंशा को सिद्ध किये बिना ही शास्ति का आरोपण कर दिया, जो कि अविधिक है। आगे उन्होंने अपने कथन में अपीलीय अधिकारी एवं सशक्त अधिकारी द्वारा पारित आदेशों को अपास्त करते हुए, अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार करने का निवेदन किया है।

5. विभाग के विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता ने अपीलीय अधिकारी एवं सशक्त अधिकारी द्वारा पारित आदेशों का समर्थन करते हुए, अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपील को अस्वीकार करने का निवेदन किया।

6. उभयपक्षों की बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध रेकॉर्ड का अवलोकन किया गया। रेकार्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा एम.एस.सरिया का परिवहन किया जा रहा था, जो कि बिल में अंकित माल से अधिक था। इस पर अपीलार्थी व्यवहारी के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क किया कि माल ओवरलोडिंग होने के कारण वक्त जांच वाहन चालक/माल प्रभारी द्वारा एक ही बिल प्रस्तुत किया गया। यह तर्क इसलिए तर्कसंगत नहीं है कि परिवहनित माल का गमनागमन भिवाडी के अन्दर ही एक फैक्ट्री से दूसरी फैक्ट्री के बीच हो रहा था। अतः अपीलार्थी व्यवहारी का यह तर्क अस्वीकार किया जाता है।

7. अपीलार्थी द्वारा माल का परिवहन अधिनियम की धारा 76(2) की अवहेलना करते हुए की है, अधिनियम की धारा 76(2) निम्न प्रकार से है–

76. Establishment of check-post or barrier and inspection of goods while in movement :-

(2) The owner or a person duly authorised by such owner or the driver or the person Incharge of a vehicle or carrier or of goods in movement shall-

(b) carry with him a goods vehicle record including "challans" and "bilties", invoices, prescribed declaration forms and bills of sale or dispatch memos;

(c) Produce all the documents including prescribed declaration forms relating to the goods before the Incharge of the check-post or barrier;

(d) Furnish all the information in his possession relating to the goods

यह सभी प्रावधान बाध्यकारी (mandatory) है।

लगातार.....3

8. इस प्रकार से अधिनियम की धारा 76(2)(b),(c) एवं (d) के अवलोकन से स्पष्ट है कि वाहन चालक/माल प्रभारी को उसके पास उपलब्ध सभी दस्तावेज जांच हेतु प्रस्तुत करने चाहिए थे, जो इस प्रकरण में जानबूझकर प्रस्तुत नहीं किये। इस प्रकार अधिनियम की धारा (2)(b),(c) एवं (d) की पूर्ण रूप से अवहेलना की गई है। अतः अधिनियम की धारा 76(6) के तहत् आरोपित की गई शास्ति विधिसम्मत होने के कारण यथावत् रखी जाती है। यह प्रकरण तथ्यात्मक बिन्दु पर भी अपीलार्थी व्यवहारी के पक्ष में नहीं है। इस प्रकार अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश में किसी भी प्रकार की त्रुटि नहीं होने के कारण अपीलाधीन आदेश यथावत् रखा जाता है।

9. फलतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत यह अपील अस्वीकार की जाती है एवं अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश 28.09.2010 की पुष्टि की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

(मदनलाल मालवीय)
सदस्य